



क्रमांक / 1370 / 8048 / 2020 / रास / यू-5,

रायपुर, दिनांक 25 / 03 / 2026

प्रति,

कुलपति

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई
नेवई, पोस्ट-नेवई, जिला- दुर्ग (छत्तीसगढ़) - 491 107.

विषय :- छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक-5
(Conduct of Examination) में संशोधन का अनुमोदन विषयक ।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक : छस्वावितवि/प्रशा./2026/992, दिनांक 06.03.2026

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 की धारा
39 (2) में निहित प्रावधान अंतर्गत माननीय कुलाधिपति, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी
विश्वविद्यालय, भिलाई द्वारा अध्यादेश क्रमांक-5 (Conduct of Examination) के Clause No. 11 में
प्रस्तावित संशोधन का यथानुरूप अनुमोदन किया गया है।

(अनुभव शर्मा)

राज्यपाल के अवर सचिव
छत्तीसगढ़

पृष्ठां. क्रमांक / / 8048 / 2020 / रास / यू-5,

रायपुर, दिनांक / 03 / 2026

प्रतिलिपि :-

कुलसचिव, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई, नेवई,
पोस्ट-नेवई, जिला- दुर्ग (छत्तीसगढ़) - 491107 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

राज्यपाल के अवर सचिव
छत्तीसगढ़

राज्यपाल के अवर सचिव
Under Secretary to Governor



राज्यपाल का सचिवालय
लोक भवन, छत्तीसगढ़, रायपुर - 492001
दूरभाष : 0771-2331163/101
फैक्स : 0771-2331104
ईमेल : rajbhavan.cg@nic.in

क्रमांक / / 8048 / 2020 / रास / यू-5, रायपुर, दिनांक / 03 / 2026

प्रति,

कुलपति

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई
नेवई, पोस्ट-नेवई, जिला- दुर्ग (छत्तीसगढ़) - 491 107.

विषय :- छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक-5
(Conduct of Examination) में संशोधन का अनुमोदन विषयक ।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक : छस्वावितवि/प्रशा./2026/992, दिनांक 06.03.2026

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 की धारा 39 (2) में निहित प्रावधान अंतर्गत माननीय कुलाधिपति, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई द्वारा अध्यादेश क्रमांक-5 (Conduct of Examination) के Clause No. 11 में प्रस्तावित संशोधन का यथानुरूप अनुमोदन किया गया है।

(अनुभव शर्मा)

राज्यपाल के अवर सचिव
छत्तीसगढ़

पृष्ठां. क्रमांक / 1371 / 8048 / 2020 / रास / यू-5,

रायपुर, दिनांक 25 / 03 / 2026

प्रतिलिपि :-

कुलसचिव, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई, नेवई,
पोस्ट-नेवई, जिला- दुर्ग (छत्तीसगढ़) - 491107 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

राज्यपाल के अवर सचिव
छत्तीसगढ़



CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY,
BHILAI

Amendment in Ordinance No. 5 (Conduct of Examination)

Clause No.	Description of existing clause	Clause after amendment	Justification
11.	<p>(2) The functions of the Results Committee shall be as follows:-</p> <p>(a) To scrutinise and pass the results of the examinations conducted by the University after satisfying itself that the results on the whole and in various subjects are in conformity with the usual standards and to recommend to the Kulpati the action to be taken in any case where the result is unbalanced.</p> <p>(b) To scrutinise complaints against question papers and to take necessary action;</p>	<p>(2) The functions of the Results Committee shall be as follows:-</p> <p>(a) To scrutinise and pass the results of the examinations conducted by the University after satisfying itself that the results on the whole and in various subjects are in conformity with the usual standards and to recommend to the Kulpati the action to be taken in any case where the result is unbalanced.</p> <p>(b) To scrutinise complaints against question papers and to take necessary action. <i>For discrepancies or corrections in the end semester examination question papers, the result committee shall include the question paper setter of the concerned subject.</i></p>	<p>To ensure accurate and subject specific clarification in case of discrepancies in the end semester examination question paper.</p>

माननीय कुलाधिपति
द्वारा अनुमोदित

राज्यपाल के अवर सचिव
लोकभवन, रायपुर

Amr
63-26
REGISTRAR
CSV TU, BHILAI (C.G.)